Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला कलक्टर (प्रथम)** मुकाम **जोधपुर**

प्रार्थी बनाम **अप्रार्थी**

अन्नाराम पुत्र श्री नथूराम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी जाटो का बास ग्राम गांगाणा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

1. ग्राम पंचायत बोरानाडा पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर जरिये सचिव ग्राम पंचायत बोरानाडा जोधपुर वगैरह।
2. पूनाराम पुत्र भल्लाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

किस्म मुकदमा **राजस्व विविध अवमानना प्रार्थना पत्र** **01** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	बनम्र व इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
16.11.2022	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 25.04.2022 की पालना नहीं होने के कारण पेश किया है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 16/2022 पेश की गई थी। न्यायालय द्वारा प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात् दिनांक 25.04.2022 को स्थगन आदेश पारित किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा राजस्व विविध अवमानना प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना–पत्र में ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गए जिससे यह सिद्ध होता हो कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 25.04.2022 की पालना नहीं की गई है तथा प्रार्थी की पंचायत निगरानी दिनांक 27.09.2022 को न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। अतः उक्त अवमानना प्रार्थना–पत्र भी infructuous हो जाने से निरस्त किया जाता है। अपर जिला कलक्टर(प्रथम) जोधपुर। अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Ne
Date: 2023.01.16 16:24:17 IST
Reason: SelfAttested